मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

113वीं बोर्ड बैठक

हेतु

कार्य सूची

दिनांक : 14–08–2019, समय : अपराहन 4.00 बजें

स्थान : प्राधिकरण कार्यालय–सभागार।

विकास प्राधिकरण बोर्ड की 113वीं बैठक दिनांक 14–08–2019 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 113वीं बैठक सभागार–मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 14–08–2019 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदया तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1.	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री अनिल ढींगरा,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्री उदयी राम,	अपर निदेशक उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य।
4.	डा0 अरविन्द कुमार चौरसिया,	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
5.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), मेरठ।	विशेष आमन्त्रित सदस्य।
6.	श्री काली विभूति शुक्ला,	सहयुक्त नियोजक, मेरठ मण्डल, मेरठ प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ मुख्यालय, लखनऊ।	सदस्य।
7.	श्री अतुल कुमार सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ।	सदस्य।

8.	श्री सत्येन्द्र कुमार,	अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य।
9.	श्री ए0के0पाठक,	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य।
10.	श्री के0पी0सिंह	अधिशासी अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्रदेश जल निगम, मेरठ।	सदस्य।
11.	श्री राज कुमार,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक/सदस्य।

112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–02–2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 23–02–2019 को सम्पन्न 112वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–12–2016 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	प्रकरण	प्रस्तुत अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
15	शताब्दीनगर आवासीय योजना सैक्टर–2 मे निर्माणाधीन उपाध्यक्ष आवास के निर्माण कार्य को उसकी लागत, भविष्य मे होने वाले सम्भावित	112वीं बोर्ड में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रश्नगत अर्द्धनिर्मित भवन को आवंटन/नीलामी द्वारा निस्तारण के प्रयास किये जा रहे है। कतिपय संस्था यथा आर0ए0एफ0 द्वारा रूचि प्रदर्शित की गयी हैं। किन्तु अभी तक कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रश्नगत भूखण्ड की नीलामी आगामी 20–08–2019 को प्रस्तावित	उपाध्यक्ष आवास के विक्रय हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। तथा यह भी निर्देश दिये गये कि यदि किसी आवेदक की कोई बिड प्राप्त होती है तो उसे बोर्ड

	रखरखाव पर होने वाले अत्याधिक व्यय एवं वर्तमान मे निर्माणाधीन भवन की उपयोगिता आदि को दृष्टिगत रखते हुए निर्माणाधीन कार्य को इसी स्तर पर रोकने एवं निर्माणाधीन भवन का कालान्तर मे यथा–उपयोग करने/नीलामी द्वारा विक्रय करने के सम्बन्ध में।	है।	के संज्ञान में लाकर ही अन्तिम किया जाये।

109वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–07–2017 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषयक	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
02	मै0 एम0एल0 एग्रीटैक द्वारा श्रीमती नीना गर्ग एवं श्री पंकज गर्ग, ग्राम बटजेवरा, सरधना रोड,	मा0 बोर्ड के निर्देशों के क्रम में वाहय विकास शुल्क जमा न किये जाने पर भू–राजस्व की भाँति वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसे आवेदक के अनुरोध के क्रम में प्रकरण शासन में विचाराधीन होने के	शासन को अनुस्मारक भेजकर शासन के निर्देश प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने के निर्देश दिये गये।

	जिला मेरठ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	कारण शासन स्तर से अन्तिम निर्णय होने तक स्थिगित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, मेरठ से अनुरोध किया गया है। प्रकरण शासन में विचाराधीन है। शासन के निर्देश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।	
06	मैसर्स प्रसन्दी स्किल्ड टैक प्रा0लि0 द्वारा श्री विजय पाल यादव एन0एच0–58 स्थित ग्रीन वर्ज क्षेत्र में सी0एन0जी0 पम्प स्थापित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी, वित्त एंव राजस्व, मेरठ से समन्वय किया गया। अपर जिलाधिकारी (वि/रा) द्वारा सन्दर्भित भूमि दर उपलब्ध करा दिया गया है जिसके अनुसार गणना करते हुए अद्यतन् देयता रूपये 2,71,26,308/– का नोटिस दिनांक 29–07–2019 को जारी किया गया है।	आवेदक से देय धनराशि जमा कराकर अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमति से प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव का अनुपालन–

अनुपूरक मद	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
01	माननीय न्यायालय आयुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांकः 25.10.2017 के क्रम में मैसर्स अलफहीम मीटैक्स प्रा0लि0, हापुड रोड, मेरठ की भूमि के भू–उपयोग	इस सम्बन्ध में 113वीं बोर्ड के मद सं0 15, पृष्ठ सं0 152 पर प्रस्ताव प्रस्तुत है।	113वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 15 पर चर्चा की गयी।

	परिवर्तन के सम्बन्ध में।		
02	सुपरटैक स्पोर्ट्स सिटी के संशोधित डी.पी.आर. की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रकरण में शासन द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 15-07-2019 नियत थी जिस पर सुनवाई की गयी। शासन के निर्णय/निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।	शासन के निर्देश की प्रतीक्षा करने के निर्देश दिये गये।

111वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12-09-2018 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन-

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
06	मेरठ विकास प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के समूह "ग" एवं "घ" के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक विभाग-2 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 9/2016/2/1/97/ का-2/2016 दिनांक 12 सितम्बर, 2016 के द्वारा प्रख्यापित विनियमितीकरण नियमावली-2016 को अंगीकृत किये	111वीं बोर्ड बैठक के निर्देशानुसार मेरठ विकास प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के समूह-'ग' एवं 'घ' के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण हेतु प्रश्नगत शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अपनायी गयी प्रक्रिया/कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में आगरा, मुरादाबाद, कानुपर, लखनऊ,	मा0 बोर्ड द्वारा शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश के साथ प्रस्ताव ड्राप करने के निर्देश दिये गये।

	जाने हेतु प्रस्ताव।	गाजियाबाद एवं इलाहाबाद विकास प्राधिकरणों को पत्र जारी किये गये थे। उपरोक्त प्राधिकरणों में से लखनऊ विकास प्राधिकरण से सूचना प्राप्त हुई जहाँ माननीय बोर्ड द्वारा शासनादेश को दिनांक 07–05–2018 को अंगीकृत किया गया है। परन्तु अन्य विकास प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त किया जाना अभी अपेक्षित है। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुसार शासनादेश को अंगीकृत करने अथवा अन्य विकास प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त होने पर विचारार्थ प्रस्तुत है।	
08	सबसिडियरी इन्टेलीजेन्स ब्यूरो के पक्ष में गंगानगर योजना के पॉकेट सीपी में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 CP/C-2 क्षेत्रफल 4531.32 वर्ग मीटर का आफिस–कम आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटन का प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में गंगानगर योजना के पॉकेट सीपी में स्थित प्रश्नगत व्यवसायिक भूखण्ड के आवंटन हेतु सब्याज देय धनराशि अंकन रूपये 37,72,32,726/– का माँग पत्र सं0 1407-I दिनांकित	अनुपालन आख्या अवलोकित किया गया।

		27–09–2018 भेजकर देय धनराशि दिनांक 26–03–2019 तक जमा करने की अपेक्षा की गयी तत्पश्चात् भुगतान प्राप्त न होने पर बार–बार अनुस्मारक पत्र भेजेगये है किन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में इन्टेलीजेन्स ब्यूरो द्वारा पत्र सं0 MRT 20/Estt/Land/2017(3)-1226 दिनांकित 05–073–2019 दिनांकित द्वारा अवगत कराया गया कि देय धनराशि की स्वीकृति हेतु पत्रावली एमएचए को प्रेषित की हुई है। इन्टेलीजेन्स ब्यूरो द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि माह अगस्त, 2019 के अन्त तक देय धनराशि अदा कर दी जायेगी।	
11	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत पार्को के विकास एवं हैवी कार्य करने हेतु 01 नग हेवी ट्रेक्टर व अन्य आवश्यक उद्यानीकरण यन्त्रों–ब्रूमर (सड़क सफाई मशीन), Falcon कम्पनी का grass cutter आदि क्रय करने हेतु	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में 01 नग हैवी ट्रेक्टर महेन्द्रा कम्पनी 575 की आपूर्ति कर ली गयी है। ब्रूमर की आवश्यकता न होने के	अनुपालन आख्या अवलोकित एवं ब्रूमर न खरीदे जाने का प्रस्ताव अनुमोदित।

	प्रस्ताव।	कारण इसे न क्रय किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।	
12	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त गैर आवासीय सम्पत्तियों का "E-AUCTION" पद्धति से निस्तारण हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
18	मेरठ के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत भवन मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया के नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्रकरण के सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई भी अन्तिम निस्तारण प्राप्त नही हुआ है। इस प्रकरण में शासन में दिनांक 02–05–2019 को बैठक सम्पन्न हो चुकी है तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 03–07–2019 को प्रेषित कर यथाशीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध किया जा चुका है।	अनुस्मारक भेजकर तथा शासन में समन्वय कर निर्देश प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–02–2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
04	गंगानगर योजना के पॉकेट ओ में पुलिस	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन	अनुपालन आख्या अवलोकित।

	थाना की स्थापना हेतु निशुल्क आवंटित की गयी 2782.12 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का पॉकेट एन में स्थित हैल्थ सेन्टर हेतु आरक्षित 2759.80 वर्ग मी0 में समायोजन के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से अनुमोदित प्रस्ताव के अवलोकनार्थ एवं निर्णय की पुष्टि हेतु प्रस्ताव।	में गंगानगर योजना के पॉकेट "ओ" में पुलिस स्टेशन की स्थापना हेतु आवंटित भूमि का गंगानगर योजना के पॉकेट "एन" में समायोजित किये जाने की सूचना कार्यालय के पत्र सं0 175-II /व्यवसायिक/2018–19 दिनांकित 28–12–2018 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित की जा चुकी है। पुलिस विभाग को गंगानगर योजना व पल्लवपुरम योजना में पुलिस थाना हेतु निशुल्क आवंटित भूमि क्रमशः 2795.98 वर्ग मीटर व 1384.00 वर्ग मीटर के सापेक्ष 90 वर्ष का लीजरेन्ट, पानी सीवर व दस्तावेज शुल्क आदि के मद में क्रमशः अंकन रूपये रूपये **32,37,092/-** व रूपये **1764472/-** की संशोधित देयता आती है जिसे जमा कराने हेतु पत्र दिनांकित 25–07–2019 जारी किया गया है।	

05	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में अनुरक्षण शुल्क एकमुश्त भुगतान किये जाने की योजना लागू करने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में तिथि निर्धारित कर कैम्प लगाकर प्रचार–प्रसार कर अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। किन्तु आवंटियों की पुरानी जमा रसीदों के सत्यापन में समय लगने के कारण अनुरक्षण के बिलों को तैयार करने में समय लग रहा है। अतः मा0 बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अनुरक्षण शुल्क की बकाया धनराशि विगत बोर्ड द्वारा प्रदत्त छूट अर्थात 6 प्रतिशत के ही अनुसार एक मुश्त जमा कराये जाने की समयावधि दिनांक 31–08–2019 से बढ़ाकर दिनांक 31–12–2019 किया जाना प्रस्तावित है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुरक्षण शुल्क की समस्त धनराशि का हिसाब 02 सप्ताह में निस्तारण करने के मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये गये। प्राधिकरण की समस्त सम्पत्तियों एवं अनुरक्षण के बिलों का कम्प्यूटराईजेशन किये जाने के निर्देश दिये गये तथा प्रत्येक आवंटी की बकाया देय धनराशि, जमा धनराशि आदि का विवरण ऑन लाईन किये जाने के निर्देश दिये गये। मोबाईल से सूचना निर्गत करने की सुविधा स्थापित की जाय। आगामी बोर्ड बैठक में विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए आवंटियों को अनुरक्षण के बिलों में 06 प्रतिशत ब्याज के साथ दिनांक 31–08–2019 तक अनुमन्य की छूट को दिनांक 31–12–2019 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

06	श्री विजय जैन व श्री अरविन्द जैन द्वारा खसरा सं0 710/2, 715 ग्राम बराल परतापुर, मेरठ पर एम्यूजमेन्ट व वॉटर पार्क के शमन मानचित्र का प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्णय अनुपालन में अवगत कराना है कि "एन0 एच0 आई0" एवं रेलवे क्रासिंग के लिये दोनों विभागों से आर0 ओ0 डब्लू0/अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन होने के कारण अद्यतन् स्थिति से अवगत कराने हेतु चीप प्रोजेक्ट मैनेजर, एन0सी0आर0टी0सी0 को दिनांक 29-06-2019 को पुनः पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु अभी तक आख्या प्राप्त नहीं हो पाया है।	आर0आर0टी0एस0 द्वारा Alignment अन्तिम होने पर यदि संरेखन में कोई परिवर्तन आता है और उससे वाटरपार्क की भूमि प्रभावित होती है तो आवेदक द्वारा स्वतः ही उतनी भूमि छोड़नी होगी। उस पर आवेदक का कोई दावा (Claim) नहीं होगा तथा सुरक्षा के दृष्टिगत व्यू कटर, आदि शर्तो का पालन करने का शपथ पत्र प्राप्त कर सशर्त शमन मानचित्र अनुमोदित किया गया।
07	मै0 रिचा हैण्डीफैब्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री राहुल सिंह पुत्र श्री पवन कुमार सिंह, निवासी-ग्राम कमालपुर, मेन गढ़ रोड़, मेरठ द्वारा खसरा संख्या-397, 398 ग्राम कमालपुर, गढ़ रोड़, मेरठ के कुल क्षेत्रफल 2882.50 वर्ग मी0 रोड़ वाईडनिंग क्षेत्रफल 1012.58 वर्ग मी0 छोड़ते हुए नेट भूखण्ड क्षेत्रफल 1869.92 वर्ग मी0 पर ग्रीन वर्ज भू-उपयोग में 'सी.एन.जी. स्टेशन' की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में मानचित्र पर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर अनुपालन कर लिया गया है।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

09	मेरठ विस्तारित विकास क्षेत्र (दौराला क्षेत्र) की महायोजना–2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश के क्रम में महायोजना मानचित्र एवं प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जा चुका है। जिस पर अद्यतन तक शासन द्वारा कोई भी दिशा–निर्देश प्राप्त नही हुए है। अनुस्मारक भेजा गया है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा शासन को अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिये गये।
10	वेद व्यासपुरी योजना में स्थित जोनल पार्क का नाम बदलकर ''क्रान्ति पार्क'' किये जाने एवं उसमें सन् 1857 की क्रान्ति से जुड़े हुए क्रान्तिकारी की मूर्ति स्थापित किये जाने एवं पार्क का सौन्दर्यकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में जिलाधिकारी, मेरठ को शासनादेश के अनुसार शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्रांक 61/उद्यान अनुभाग/2019 दिनांक 24–04–2019 द्वारा अनुरोध किया गया है।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा जिलाधिकारी द्वारा शासन को मूर्ति स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजकर शासन के आदेश प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।
11	प्राधिकरण में दिनांक 01.01.2016 से लागू सातवे वेतनमान में सेवानिवृत्ति पाने वाले कार्मिकों को सातवें वेतनमान में सेवानिवृत्ति की दिनांक को देय मूल वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारण एवं पेंशन भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्देशानुपालन में अपेक्षित जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु बरेली, हापुड–पिलखुआ, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, विकास प्राधिकरणाों तथा संयुक्त आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ को पत्र जारी किये गये	अनुपालन आख्या अवलोकित। प्रकरण ड्राप करने के निर्देश दिये गये।

		जिसके प्रतिउत्तर में गाजियाबाद, कानपुर, विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय द्वारा सातवें वेतनमान में निर्धारित वेतन के अनुरूप पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । गाजियाबाद एवं कानपुर विकास प्राधिकरणों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सातवें वेतनमान में देय वेतन के अनुसार निर्धारित पेंशन पर मंहगाई भत्ता का भुगतान नही किया जा रहा है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, मेरठ विकास प्राधिकरण में दिनांक 01.01. 2016 के पश्चात् सेवा निवृत्त एंव मृतक अधिकारियों/ कर्मचारियों के आश्रितों, जिनका वेतन सातवे वेतनमान में निर्धारित किया जा चुका है, को अन्तिम 10 माह की औसत परिलब्धियों पर पेंशन निर्धारण किये जाने तथा ऐसे पेंशनधारको को मूल	

		पेंशन पर मंहगाई भत्ता के सम्बन्ध में शासन से आदेश प्राप्त होने तक प्राधिकरण द्वारा मंहगाई भत्ता का भुगतान न किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः तद्नुसार अनुपालन आख्या मा0 बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	
12	मेरठ महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार ग्रामीण आबादी भू–उपयोग में पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन निषिद्ध क्रिया है, परन्तु आवास बन्धु द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार ग्रामीण आबादी भू–उपयोग में पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन सशर्त अनुमन्य क्रिया है, जिसको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आगरा विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की जोनिंग रेगुलेशन में भी सशर्त अनुमन्य किया गया है। अतः आवास बन्धु द्वारा जारी आदर्श जोनिंग	मा0 बोर्ड के निर्देश के क्रम में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है जिस पर शासन द्वारा अद्यतन् तक कोई भी दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुए है।	शासन के निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

	रेगुलेशन के प्राविधान के अनुसार पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन के सम्बन्ध में मेरठ महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति प्रदान करते हुए जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव मांगने एवं शासन को प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।		

113वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14—08—2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय—

मद सं0	विषय	निर्णय
01	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिये आवासीय भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में। (वित्त नियन्त्रक)	मा0 बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं आवासीय सेक्टर दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये जो निम्न प्रकार है:—

क्र0 सं0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018—19 की स्वीकृत दरें—	बोर्ड द्वारा स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2019—20 (दिनांक 31—03—2020 तक) की दरों का विवरण—
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वेदव्यासपुरी योजना	16800/-	18480/-
2.	शताब्दी नगर योजना	11500/-	12650/-
3.	सैनिक विहार योजना	12300/-	13530/-
4.	रक्षापुरम् योजना	12300/-	13530/-
5.	मेजर ध्यानचन्द नगर योजना	13200/-	14520/-

		6.	लोहिया नगर योजना	11700/-	12870/-
		7.	पल्लवपुरम फेस–1 व फेस–2 योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
		8.	श्रद्धापुरी फेस–1 योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
		9.	श्रद्धापुरी फेस–2 योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
		10.	डिफेन्स एन्क्लेव योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
		11.	गंगा नगर फेस–1, फेस–2, फेस–3 व एक्सटेंशन योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
		12.	पांडव नगर योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
		13.	विकास विहार योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
		14.	बेगम बाग अपार्टमेन्ट योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट

		15.	आलोक विहार (भूमिया का पुल) योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
		16.	सूरजकुण्ड वर्क सेन्टर योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
		17.	हर्ष नगर योजना	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट	जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट
		उपरोक्त योजनओं में वृद्धि की गयी आवासीय सैक्टर दरों का प्रभाव पूर्व में दिनांक 15–02–2018 को सम्पन्न 110वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 16 के अन्तर्गत दिनांक 31–03–2020 तक की अवधि हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त फ्लैटस्, भवन व विलॉज की फ्रीज की गयी कीमतों पर नहीं पड़ेगा।			
02	हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित 275 सम्पत्तियों के समायोजन का प्रस्ताव। **(संयुक्त सचिव/प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति)**	मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि 102वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 10 पर पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।			
03	श्री अजय कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में।**(संयुक्त सचिव/प्रभारी**	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।			

	अधिकारी अधिष्ठान)	
04	श्री रविन्द्र सिंह अभियन्ता (वि0/यॉ0) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में। (संयुक्त सचिव/प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान)	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
05	श्री आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में। (संयुक्त सचिव/प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान)	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
06	आर0आर0टी0एस0 द्वारा दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कोरिडोर के क्रियान्वित किये जाने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के पक्ष में शताब्दीनगर योजना, सेक्टर–2 में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी–12, अनु0 क्षेत्रफल 2269.37 वर्ग मीटर के आवंटन हेतु प्रस्ताव। {प्रभारी सम्पत्ति (बल्क)}	मा0 बोर्ड द्वारा आर0आर0टी0एस0 के पक्ष में नियमानुसार व्यवसायिक दर पर भूमि के आवंटन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
07	श्री सतीश कुमार, पूर्व सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मैसर्स गोडविन कन्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा विकसित	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

	कालोनी ग्रेटर गंगा के क्रय किये गये भूखण्ड के सापेक्ष प्रतिकर की धनराशि पर देय 15 प्रतिशत ब्याज के निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। {प्रभारी सम्पत्ति (बल्क)}	
08	उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, लखनऊ द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 948(1)/आठ–1–18–44विविध/18 दिनांकित 26–07–2018 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में। **(भूखण्डों के विक्रय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज न लिये जाने से सम्बन्धित शासनादेश जारी दिनांक से लागू किये जाने का प्रस्ताव।)** {प्रभारी सम्पत्ति (बल्क)}	अवलोकित किया गया।
09	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन शताब्दीनगर/ लोहियानगर में अनावंटित भवनों को यथा स्थिति में बल्क–सैल के अन्तर्गत विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में। (अभियन्त्रण–मुख्य	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन विभिन्न श्रेणी के भवनों के विक्रय पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जाये। विक्रय हेतु इस प्रकार का ''एडवरटाईज़मेन्ट'' तैयार कराया जाये जिसमें योजना/भवनों के आकर्षक बिन्दु परिलक्षित हो। विशेष रूप से यह स्पष्ट उल्लेख हो कि योजना दिल्ली रोड़ व निकटस्थ रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर स्थित है

	अभियन्ता)	तथा इसी योजना के सन्निकट आर0आर0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत रैपिट ट्रेन जैसी सुविधा शीघ आरम्भ होने जा रही है। योजना के प्रचार–प्रसार हेतु यदि प्राधिकरण चाहे तो एक ''एड कम्पनी'' को भी हायर कर लें। जैसे–जैसे भवनों का विक्रय होता जाये वैसे–वैसे कार्य के निर्माता कम्पनी को भुगतान करते हुए कार्य को चरणबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाये।
10	कैटिल कालोनी विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।(मुख्य नगर नियोजक)	प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) तथा प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया जाये तथा स्थल के संबंध में उपयोगिता का परीक्षण कराते हुए एवं नगर निगम से सहमति प्राप्त कर सीलिंग भूमि को प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित करवाने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
11	उ.प्र. आवास एंव विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में लैण्ड पूलिंग स्कीम के क्रियान्वयन हेतु निर्गत नीति को प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। (मुख्य नगर नियोजक)	सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
12	ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत ऑनलाईन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु	प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

	ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (व्ठचै) को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरण में लागू किये जाने के सम्बन्ध मे प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 के शासनोदश संख्याः 567/आठ–3–19–26 विविध/2017टी0सी0 दिनांकः 20.06.2019 एवं 563/आठ–3–19–26 विविध/2017 टी0सी0 दिनांकः 20.06.2019 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। (मुख्य नगर नियोजक)	
13	मैसर्स सनसाईन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या–830/13 में स्वीकृत 1.5 से 2.5 तक बढ़े हुए एफ.ए.आर. को सरेण्डर किये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त जमा धनराशि समायोजन के सम्बन्ध में_(मुख्य नगर नियोजक)	बाह्य विकास शुल्क के मद में अवशेष धनराशि की ब्याज सहित गणना कर ली जाये। क्रय योग्य एफ.ए.आर. के मद में जमा की गयी धनराशि को घटाते हुए अवशेष धनराशि आवेदक से वसूल की जाये।

14	उ0प्र0 शासन द्वारा औद्योगिक इकाईयों के मानचित्र स्वीकृत किये जाने के समय बाह्य विकास शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में_(मुख्य नगर नियोजक)	प्रकरण में अग्रेतर निर्णय से पूर्व सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण व मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ के सहयुक्त नियोजक की समिति गठित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि समिति द्वारा उक्त प्रकरण का परीक्षण कर प्रस्ताव उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। तदुपरान्त उपाध्यक्ष द्वारा युक्तिसंगत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
15	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्याः 6204, सन 2019 मै0 अलफहीम मीटैक्स प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य दिनांकः 29.05.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।_(मुख्य नगर नियोजक)	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह पाया गया कि आवेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–05–2019 तथा आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2017 का आंशिक अनुपालन किया गया है। पूर्ण अनुपालन कर दिये जाने पर प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
16	पटेल नगर, मेरठ के भूखण्ड संख्या–160, कुल क्षेत्रफल 2132.60 वर्ग मी0 पर 'हिन्दी भवन ऑडिटोरियम' के निर्माण की मानचित्र प्रस्तावना MAP2018101 212232300 की स्वीकृति के सम्बन्ध में। (विशेष	उत्तर प्रदेश भवन एवं विकास उपविधि के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

	अनुमति प्रकरण)——(मुख्य नगर नियोजक)	
17	ग्राम–सिसौली, गढ रोड, मेरठ के खसरा संख्याः 524/1 कुल क्षेत्रफल 1225.00 वर्ग मी0 पर पेट्रोल पम्प कम फिलिंग स्टेशन के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में। (विशेष अनुमति प्रकरण)——(मुख्य नगर नियोजक)	प्रस्ताव अनुमोदित।
18	ग्राम–बराल परतापुर, मेरठ–दिल्ली बाई–पास मार्ग के खसरा संख्याः 663 कुल क्षेत्रफल 1575.00 वर्ग मी0 पर पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में। (विशेष अनुमति प्रकरण) ——(मुख्य नगर नियोजक)	प्रस्ताव अनुमोदित।
19	दिनांक 04–06–2019 को सम्पन्न जिला उद्योग बन्धु की बैठक के एजेण्डा बिन्दु सं0 03 पर लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पॉकेट एफ में कैंची एवं बुनकर श्रेणी के आवंटियों की किश्तों पर देय हो चुके	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

	ब्याज की माफी के सम्बन्ध में। (संयुक्त सचिव/अभियन्त्रण)	
20	आर0आर0टी0एस0 द्वारा दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कोरिडोर के क्रियान्वित किये जाने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के पक्ष में शताब्दीनगर योजना में स्थित 28 हैक्टेअर भूमि का अस्थायी आवंटन हेतु प्रस्ताव। {प्रभारी सम्पत्ति (बल्क)}	शताब्दीनगर योजना के अन्तर्गत आर0आर0टी0एस0 को 28 हैक्टेअर भूमि के अस्थायी आवंटन की सैद्धान्तिक सहमति दी गयी तथा 3 वर्ष की लीज (पट्टा) पर उपलब्ध कराये जाने के लिये दर के निर्धारण हेतु अपर जिलाधिकारी (वि/रा), मेरठ ए0आई0जी0 (स्टाम्प), मेरठ तथा सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की समिति गठित की गयी। समिति की आख्या पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मा0 अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

अनुपूरक मद सं0	विषय	निर्णय
01	पाण्डवनगर योजना के पाकेट–डी में निर्मित दुर्बल आय वर्ग भवन सं0 डी–49 से डी–80 तक जीर्ण–शीर्ण भवनों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में।	भवनों के नियमानुसार ध्वस्तीकरण की अनुमति दी गयी।
02	शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन किये जाने हेतु जारी शासनादेश सं0 4384/8–3–11–181विविध/2008 दिनांक 27–09–2011 के क्रम में होटल को पार्क एवं खुले स्थल, बाग–बगीचे, हरित क्षेत्र, वन क्षेत्र, संकटमय उद्योग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, आदि भू–उपयोगों को छोड़कर अन्य समस्त भू–उपयोगों में प्रभाव शुल्क	प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अन्तिम निर्णय लेने हेतु सन्दर्भ, शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

	को आरोपित न करते हुए अनुमन्य किये जाने हेतु महायोजना 2021 जोनिंग रेगुलेशन में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	
03	आर0आर0टी0एस0 द्वारा दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कोरिडोर के क्रियान्वित किये जाने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के पक्ष में शताब्दीनगर योजना, सेक्टर–2 में स्थित 4000 वर्ग मीटर व्यवसायिक के आवंटन हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा आर0आर0टी0एस0 के पक्ष में नियमानुसार व्यवसायिक दर पर भूमि के आवंटन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
04	सैटेलाईट बस अड्डा एवं कार्यशाला हेतु निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की माँग के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम, मेरठ से प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पत्र सं0 1077/यो0प्र0 /19 दिनांकित 31–05–2019 के माध्यम से शताब्दीनगर योजना की 3.50 हैक्टेटर भूमि का मूल्यांकन बल्कसेल के आधार मूल्यांकन कर अंकन धनराशि रूपये 35.00 करोड़ की माँग के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा सैटेलाईट बस अड्डा एवं कार्यशाला हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को विभागीय सहमति के क्रम में नियमानुसार व्यवसायिक दर पर भूमि के आवंटन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(राज कुमार) सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	(राजेश कुमार पाण्डेय) उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	16/8 (अनीता सी0 मेश्राम) अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड, मेरठ।